

समाहरणालय, पूर्णियाँ


(जिला नजारत प्रशाखा)

निविदा संख्या- 03/2012

वाहन भाड़ा निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

समाहरणालय अन्तर्गत अपर समाहर्ताओं, वरीय उप समाहर्ताओं, चार अनुमंडल अन्तर्गत कार्यपालक दण्डाधिकारियों एवं गणमान्य अतिथियों के भ्रमण हेतु वाहनों का मासिक/दैनिक भाड़ा निर्धारण हेतु दिनांक 17.08.2012 को 02.00 बजे अपराह्न तक सीलबन्द लिफाफा में निविदा आमंत्रित किया जाता है, जो उसी दिन 03.00 बजे अपराह्न में क्रय समिति के समक्ष खोली जायगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता/उसके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। निविदा की निम्नांकित शर्तें होंगी :-

1. वित्तीय एवं तकनीकी निविदा अलग-अलग लिफाफा में देना होगा।
2. निविदा के साथ 10000/- (दस हजार) रुपये का बैंक ड्राफ्ट/नाजीर रसीद संलग्न करना होगा। बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से भुगतान होगा।
3. व्यवसायिक वाहन निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र, Insurance पथ कर भुगतान संबंधी प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छायाप्रति भी संलग्न करना होगा।
4. दर निर्धारण के पश्चात् एक वर्ष का एकरारनामा करना होगा।
5. वाहन 24 घंटे जिला प्रशासन के अधीन रहेगा। आपूर्ति की गयी वाहन में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी होने पर तत्क्षण वैकल्पिक व्यवस्था आपूर्तिकर्ता द्वारा की जायगी।
6. वाहन में मोबील, ब्रेक आयल आदि की आपूर्ति वाहन मरम्मती तथा चालक का भुगतान आपूर्तिकर्ता को करना होगा।
7. पूर्व में किसी सरकारी कार्यालय को वाहन आपूर्ति की गयी हो तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. आपूर्तिकर्ता को आयकर निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
9. वित्तीय निविदा में केवल वाहन भाड़ा का दर अंकित करना होगा, तथा यह दर सभी कर सहित होना चाहिये। अन्य सभी कागजात तकनीकी निविदा में दाखिल करना होगा।
10. विस्तृत जानकारी पूर्णियाँ जिला के वेबसाइट www.purnea.bih.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा किसी भी कार्य दिवस में जिला नजारत शाखा, पूर्णियाँ से प्राप्त किया जा सकता है।
11. निविदा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।


जिला पदाधिकारी,
पूर्णियाँ